प्ररूप सं. 10खक

[नियम 11ख *देखिए*]

धारा 80छछ के अधीन कटौती का दावा करने वाले निर्धारिती द्वारा फाइल की जाने वाली घोषणा

मैं/हम .... यह प्रमाणित करता

[निर्धारिती का नाम, [1]**[**स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक**]** सहित]

हूँ/करते हैं कि पूर्व वर्ष..के दौरान मैंने/हमने.. (परिसर का पूरा पता) परिसर को अपने निवास के प्रयोजन के लिए... मास की अवधि के लिए अधिभोग में रखा था और इसके किराये के रूप में संदाय के लिए श्री/सुश्री/मैसर्स... ....(भूस्वामी का पूरा नाम और पता) को... रुपए नकद में/क्रास चैक या बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से संदत्त किए हैं।

यह और प्रमाणित किया जाता है कि

(*क*) ....में जहां मैं/हम साधारणतया निवास करता हूँ/करते हैं/कार्यालय या नियोजन के कर्त्तव्यों का निष्पादन या कारबार अथवा वृत्ति करता हूँ/करते हैं, मेरे/मेरे पति/पत्नी/मेरे अवयस्क बालक/मेरे परिवार (जहां निर्धारिती अविभक्त हिन्दू कुटुंब है) के स्वामित्व में कोई अन्य वास सुविधा नहीं, या

(*ख*) मेरे/हमारे स्वामित्व में किसी अन्य स्थान पर ऐसा कोई वास सुविधा नहीं है, जो मेरे अधिभोग में की वास सुविधा है, जिसका मूल्य धारा 23(2)(*क*)(i) या धारा 23(2)(*ख*) के अधीन अवधारित किया जाना हो।

---

1. आय-कर (बारहवां संशोधन) नियम, 2019 द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से 1.9.2019 से "स्थायी खाता संख्यांक" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।